पत्रांक–भवन/बजट–76–योजना–(विज्ञान एवं प्रा.वि.)–02/2018–19... 10231 (सं)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 30/10/26

विषय– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु **वित्तीय वर्ष 2026–27** में कुल **₹ 4,98,70,532/– (चार करोड़ अंठानवे लाख सत्तर हजार पॉच सौ बत्तीस रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की निम्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल **₹ 4,98,70,532/– (चार करोड़ अंठानवे लाख सत्तर हजार पॉच सौ बत्तीस रूपये)** मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2026–27** में प्रदान की जाती है :–

क्रमांक	भवन प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0 संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राषि
1.	भवन प्रमंडल, सहरसा	34657	सात निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा के परिसर में अतिरिक्त भवनों 300 (तीन सौ) शैयया का एक बालक छात्रावास (जी+5) एवं 300 (तीन सौ) शैयया वाले एक बालिका छात्रावास (जी+5) का निर्माण कार्य	3480/30.06.25	**₹4,93,71,224/-** (चार करोड़ तिरानवे लाख इकहत्तर हजार दो सौ चौबीस रूपये)
2.	विद्युत भवन प्रमंडल, मोतिहारी	34205	Installation of Lift in Academic Block of Govt. Polytechnic College Mahanagani, Majahauliya at Distt-West Champaran	1420/11.04.23	**₹4,99,308/-** (चार लाख निन्यानवे हजार तीन सौ आठ रूपये)
			कुल योगः–		**₹4,98,70,532/–**

(चार करोड़ अंठानवे लाख सत्तर हजार पॉच सौ बत्तीस रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मॉग संख्या–03 के मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, उपशीर्ष–0108–पोलिटेकनिक भवन (निश्चय) विपत्र कोड–03–4202021040108 के विषय शीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0108.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2026–27** में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एसम. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 10231 (सं) पटना, दिनांक– 30/10/26

प्रतिलिपि–सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, संबंधित/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव